29वाँ दिल्ली CII शिखर सम्मेलन

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने दिल्ली में आयोजित **29वें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) भागीदारी शिखर सम्मेलन** के दौरान सतत् विकास में **समान ज़िम्मेदारियों** की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- **पर्यावरणीय समानता:** औद्योगिक देशों को अतीत में हुई पर्यावरणीय क्षति के लिये उत्तरदायी ठहराने के लिये भारत ने **"प्रदूषणकर्त्ता को भुगतान करना होगा" सिद्धांत और "सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व" (CBDR)** को बढ़ावा दिया।
- **एकतरफा उपायों का विरोध**: इसने विकासशील देशों के निर्यात को नुकसान पहुँचाने के लिये **यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)** और **यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR)** की आलोचना की है।
- **जलवायु वित्त:** भारत ने **बाकू में आयोजित CoP29** में **300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के **जलवायु-वित्त पैकेज पर असंतोष व्यक्त किया** तथा वैश्विक दक्षिण के लिये अनुकूलन एवं वित्त पर ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- **साझेदारी और प्रौद्योगिकी:** भारत ने **इज़रायल, इटली और कतर** जैसे देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया, तथा व्यापार, स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए **जलवायु अनुकूल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान** का समर्थन किया।

CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024:

- **आयोजक**: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
- **थीम (2024)**: ***“[illegible]”।***
- **भागीदारी**: 61 देशों के प्रतिनिधि, स्थिरता, व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- **क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - **अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- **हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- **अल्प विकसित देश कोष (LDCF)** और **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)**
- **दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - **कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- **लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमज़ोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमज़ोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को ख़त्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

Drishti IAS

और पढ़ें: जलवायु वित्त

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/29th-delhi-cii-summit